न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विनोद कुमार(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 133/2023

दायर दिनांक 04.04.2023

निर्णय दिनांक 24.08.2023

उनवान

1. गणेश पुत्र गोकुल जाट निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा।
2. जमनालाल पुत्र गोकुल जाट निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा।
3. पन्नालाल पुत्र गोकुल जाट निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा।
4. श्रीमति प्यारी देवी पुत्री गोकुल जाट पत्नी शंकरलाल जाट निवासी रूपाहेली हाल निवासी हलेड तहसील व जिला भीलवाडा।
5. हीरालाल पुत्र गोकुल जाट निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमति अनिता पत्नी नितीन काबरा निवासी बी–260–261 वार्ड नं0 34 आर0के0 कालोनी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्रीमति गरिमा पत्नी योगेश काबरा निवासी बी–260–261 वार्ड नं0 34 आर0के0 कालोनी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्रीमति मुन्ना देवी पत्नी बद्रीलाल काबरा निवासी बी–260–261 वार्ड नं0 34 आर0के0 कालोनी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. श्री भैरू पुत्र भाग्या चमार(बैरवा) निवासी चमारा का खेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

— विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थीगण मुकेश कुमार भाण्ड
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही

–:: <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम</u>::–

–:: <u>निर्णय</u> ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण न अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रूपाहेली प0ह0 रूपाहेली भू अभिलेख निरीक्षक दांथल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 953 की अभिलिखत आराजीयात आराजी संख्या 2658/2437 रकबा 0.8219 हैक्टेयर किता 01 रकबा 0.8219 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की हैं।

और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध दिनांक 13.06.2023 को एक तरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 2,3,4 आज दिनांक 24.08.2023 को बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से अप्रार्थी संख्या 2,3,4 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन् किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें आराजियात जैर-बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन(पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तथा तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा रूपाहेली प0ह0 रूपाहेली भू अभिलेख निरीक्षक दांथल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2076-2079 के खाता संख्या 953 की अभिलिखत आराजीयात आराजी संख्या 2658/2437 रकबा 0.8219 हैक्टेयर किता 01 रकबा 0.8219 हैक्टेयर भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका व मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमाकंन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000/- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 24.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा